

चीफ प्रमोटर ने www.society.uphq.in पर करेंगे, सोसाइटी पंजीकरण आवेदन को ऑनलाइन जमा करेंगे, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करेंगे और भुगतान करेंगे ।

जिला अधिकारी (AR) आवेदन प्राप्त करते हैं और आर्गनाइजर अधिकारी को सौंपते हैं

आर्गनाइजर अधिकारी सोसाइटी पंजीकरण आवेदन के बारे में एक जांच आयोजित करेंगे

मुख्य प्रवर्तक द्वारा कहे गये संशोधन का समाधान किया गया।

आर्गनाइजर अधिकारी डिवीजन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेंगे या आवेदन पर संशोधन कराया जा सकता है।

संशोधन

यदि पंजीकृत आवेदन अपूर्ण है या संलग्न दस्तावेज़ में कोई कमी है तो आवेदन को वापस मुख्य प्रवर्तक को संशोधन करने के लिये भेजा जाता है।

मंडल अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत

मंडल अधिकारी सोसाइटी पंजीकरण आवेदन प्राप्त करते हैं।

निरस्त

प्रभाग अधिकारी पंजीकरण आवेदन का प्रमाण पत्र जारी करेंगे या आवेदन निरस्त करेंगे ।

आवेदन को निरस्त कर दिया और मुख्य प्रवर्तक को ईमेल / एसएमएस द्वारा सूचित किया गया।

प्रमाण पत्र जारी

अनुमोदन प्रमाण पत्र प्रभाग अधिकारी या नामित कार्यालय के क्लर्क द्वारा अपलोड किया जाएगा।

मुख्य प्रवर्तक प्रमाण पत्र डाउनलोड कर लेंगे ।